IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2021

IN THE MATTER OF:

Vipin Nayyar. ....Applicant

Versus

Union of India & Ors. ... Respondents

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NOS.2 & 8 (DEPARTMENT OF IRRIGATION, UTTARAKHAND) IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 28.10.2021 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

P A P E R - B O O K

I N D E X

Srl	Particulars	Pages
1.	Status Report by way of Affidavit on behalf of respondent Nos. 2 & 8 (Department of Irrigation, Uttarakhand) in the abovementioned matter	**1-8**
2.	ANNEXURE-1: A true copy of the order dt.28.10.2021 passed by this Ho'bnle Tribunal.	**9-11**
3.	ANNEXURE-2: Photocopy of the Revenue Record	**12**
4.	ANNEXURE-3: A true photocopy of letter No.1485/BaiNi.Kh./L-4 dated 10.06.1980	**13**
5.	ANNEXURE-4: A true photocopy order No.321/11-2009-03(45)2003 dated 05.02.2010	**14**
6.	ANNEXURE-5: A true photocopy of Notice issued by the respondent No.9	**15-24**
7.	ANNEXURE-6: A true photocopy of Charge Memo etc.	**25-29**

Filed by:

[RAHUL VERMA]
Additional Advocate General for State of Uttarakhand /
Respondent No.8,
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2021

IN THE MATTER OF:

Vipin Nayyar. ....Applicant

Versus

Union of India & Ors. ... Respondents

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NOS.2 & 8 (DEPARTMENT OF IRRIGATION, UTTARAKHAND) IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 28.10.2021 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

I, Ramesh Chandra Kothari S/o Late Shri Bacchi Ram Kothari,aged about 59 years, presently posted as Executive Engineer, Project Division, Rishikesh, Department of Irrigation, Uttarakhand, District Dehradun, Uttarakhand , presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and have been duly authorized to file the present and I am competent to file present Report by way of Affidavit on behalf of Respondent Nos. 2 & 8 (Department of Irrigation, Govt. of Uttarakhand).

NOTARY
A.N. SINGH
Supreme Court of India
Regn. No. 16959
Exp. Date: 31.01.2025
INDIA

2. That the abovementioned matter had been filed by the applicant with the grievance that some construction activities are going on, at the bank of river Ganga where public toilets are being constructed by respondent no. 6, i.e., Municipal Corporation, Rishikesh and the entire waste therefrom, is directly flown in river Ganga causing pollution. It is further stated by the applicant that no STP has been constructed and the entire untreated discharge is directly leaving to river Ganga.

3. That the matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 28.10.2021, the Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following order:-

"1. None has appeared for the applicant. Thakur Sumit, Advocate is present on behalf of respondent no. 1, MoEF&CC.

2. This is an application under Section 14 and 18 of National Green Tribunal Act, 2010, filed by Mr. Vipin Nayyar. The grievance raised by the applicant is that some construction activities are going on, at the bank of river Ganga where public toilets are being constructed by respondent no. 6, i.e., Municipal Corporation, Rishikesh and the entire waste therefrom, is directly flown in river Ganga causing

NOTARY
A.N. SINGH
Supreme Court of India
Regn. No. 16959
Exp. Date: 31.01.2025
INDIA

pollution. It is further stated that no STP has been constructed. The entire untreated discharge is directly leaving to river Ganga and despite repeated representations and requests made to various authorities, none has taken any action.

3. When we enquired from the learned Counsel appearing on behalf of respondent no. 1, he stated that MoEF&CC is only proforma party since matter relates to river Ganga, which is within the domain of Ministry of Jal Shakti. When we pointed out that the issue relates to environment and necessary guidelines have been issued by MoEF&CC, he could not give any satisfactory reply and seeks time to obtain instructions.

4. Be that as it may, in our view, prima facie a substantial question relating to environment has arisen for implementation of statutes mentioned in Schedule to NGT Act 2010 has arisen.

5. However, before taking any further action, we feel that a factual report should be obtained.

6. We accordingly constitute a three Members Committee comprising of SEIAA, Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Rishikesh, who shall, not only visit the sites which are pointed out in this application but if there are similarly placed other

NOTARY
A.N. SINGH
Supreme Court of India
Regn. No. 16959
Exp. Date: 31.01.2025
GOVT. OF INDIA

sites also wherein similar activities are going on, the same shall also be inspected and submit a factual report within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action. The State PCB will be the Nodal Agency for coordination and compliance. If Committee finds violation of environmental laws and directions of Supreme Court's in Paryavaran Suraksha Samiti (2017 5 SCC 326), copy of report shall be supplied to such person/body who has violated, so that such person/body may give its response to this Tribunal, by next date.

List for further consideration on 03.01.2022.

...."

A copy of the order dated 28.10.2021 is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-1.

4. That by way of present report by way of affidavit is being filed on behalf of respondent Nos. 2 & 8, Department of Irrigation,

NOTARY
A.N. SINGH
Supreme Court of India
Regn. No. 16959
Exp. Date: 31.01.2025
INDIA

Uttarakhand. The abovementioned answering respondent Nos. 2 & 8 is respectfully submitted that -

I. That it is pertinent to mention herein that the issue related to the present matter (O.A. No. 34 of 2018 – Vikrant Tongad – Vs- Union of India & Ors. in which the Department of Irrigation, Government of Uttarakhand was arrayed as respondent No.7) with regard to the construction / maintenance of the site in question.

II. That the construction work of the Chila Jal Vidyut Project was started in the year 1974-75. The land measuring 0.79 Acre, 25.42 Acre and 0.85 Acres total 27.06 Acres or 10.951 Hect. Of Khasra No.298, 299 of Gram Sabha Rishikesh for construction of Barrage Reservoir vide letter No.Meo ZAC(75-78) dated 14.03.1971 and letter No.701/12A-125 (75-78) dated 3.2.1978. (Photocopy of the Revenue Record is annexed as <u>ANNEXURE R-2.</u>)

NOTARY
A.N. SINGH
Supreme Court of India
Regn. No. 16959
Exp. Date: 31.01.2025
GOVT. OF INDIA

III. That on demarcation by the District Magistrate, the revenue department did not transferred the said land. The khasra Nos. 298, 299 was disputed since the time of allotment and Executive Engineer, Barrage Construction Division, Rishikesh vide its letter No.1485/BaiNi.Kh./L-4 dated 10.06.1980 had requested to transfer the abovesaid land to the department after demarcation of the same. (Photocopy of the same is annexed as ANNEXURE R-3.)

IV. That in the year 2010 vide order No.321/11-2009-03(45)2003 dated 05.02.2010 the Government of Uttarakhand transferred the Cheela Jal Vidyut Project with maintenance and for its operation to the Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited (Respondent No.9 herein). (Photocopy of the same is annexed as ANNEXURE R-4.)

V. It is relevant to mention herein that the construction of toilet in dispute is after the year 2018, and the respondent No.9 also issued notices, with regard to abovementioned illegal construction in dispute. (Photocopy of the same is annexed as ANNEXURE R-5.)

NOTARY
A.N. SINGH
Supreme Court of India
Regn. No. 16959
Exp. Date: 31.01.2025
GOVT. OF INDIA

VI. That the site of Reservoir is recorded in the revenue record as Cheela Jal Vidyut Pariyojna and the supervision and operation of the same is being done in view of Order No.321/11-2008-03(45)/2003 dated 05.02.2010 and in continuation of transfer of project vide dated 01.04.2010 in favour of respondent No.9. (Photocopy of the Charge Memo etc. is annexed as ANNEXURE R-6.)

5. That the present Status Report by way of Affidavit in compliance of direction passed by this Hon'ble Tribunal is being filed on behalf of Department of Irrigation, Govt. of Uttarakhand for kind perusal of this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY A.N. SINGH Supreme Court of India Regn. No. 16959 Exp. Date: 31.01.2025 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

8

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

27 DEC 2021

Verified by me at New Delhi on this 27th day of December, 2021.

Certified that the above Named Deponent identify by Shri/Smt. Rahul Verma, AAG Solemenly affarmed before me at Delhi S. No. 13135 The contents of the affidavit which have been read & explained to me are true and correct Notary

DEPONENT

I identify the deponent who has Signed/Put T.I. in my presence

27 DEC 2021

Filed through:

[RAHUL VERMA]
Additional Advocate General for State of Uttarakhand
/Respondent No.8
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

NOTARY A.N. SINGH Supreme Court of India Regn. No. 16959 Exp. Date: 31.01.2025 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
A.N. Singh Adv.
Notary Public
Govt. of India, Delhi
Mob.: 9718138881, 7982080115

ANN. R-1 9

Item No. 04 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(By Video Conferencing)

Original Application No. 248/2021
(I.A. No. 190/2021)

Vipin Nayyar Applicant

Versus

Union of India & Ors Respondent(s)

Date of hearing: 28.10.2021

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE BRIJESH SETHI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Respondent: Mr. Thakur Sumit, Advocate for MoEF&CC

ORDER

1. None has appeared for the applicant. Thakur Sumit, Advocate is present on behalf of respondent no. 1, MoEF&CC.

2. This is an application under Section 14 and 18 of National Green Tribunal Act, 2010, filed by Mr. Vipin Nayyar. The grievance raised by the applicant is that some construction activities are going on, at the bank of river Ganga where public toilets are being constructed by respondent no. 6, i.e., Municipal Corporation, Rishikesh and the entire waste therefrom, is directly flown in river Ganga causing pollution. It is further stated that no STP has been constructed. The entire untreated discharge is directly leaving to river Ganga and despite repeated representations and requests made to various authorities, none has taken any action.

3. When we enquired from the learned Counsel appearing on behalf of respondent no. 1, he stated that MoEF&CC is only proforma party since matter relates to river Ganga, which is within the domain of Ministry of Jal Shakti. When we pointed out that the issue relates to environment and necessary guidelines have been issued by MoEF&CC, he could not give any satisfactory reply and seeks time to obtain instructions.

4. Be that as it may, in our view, *prima facie a* substantial question relating to environment has arisen for implementation of statutes mentioned in Schedule to NGT Act 2010 has arisen.

5. However, before taking any further action, we feel that a factual report should be obtained.

6. We accordingly constitute a three Members Committee comprising of SEIAA, Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Rishikesh, who shall, not only visit the sites which are pointed out in this application but if there are similarly placed other sites also wherein similar activities are going on, the same shall also be inspected and submit a factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action. The State PCB will be the Nodal Agency for coordination and compliance. If Committee finds violation of environmental laws and directions of Supreme Court's in Paryavaran Suraksha Samiti (2017 5 SCC 326), copy of report shall be supplied to such person/body who has violated, so that such person/body may give its response to this Tribunal, by next date.

11

List for further consideration on 03.01.2022.

A copy of this order be forwarded to SEIAA, Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Rishikesh by e-mail for compliance.

The applicant may furnish a copy of this order along with set of papers to the SEIAA, Uttarakhand; State PCB and District Magistrate, Rishikesh and file affidavit of service within one week

Sudhir Agarwal, JM

Brijesh Sethi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

October 28, 2021
Original Application No. 248/2021
AVT

//TRUE COPY//

12 ANN·R-2

उद्धरण षष्ठ वार्षिक खतौनी ग्राम ऋषिकेश परगना [illegible] तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून १३८६ फ० से १४०५ फ० तक

खाते खतौनी की संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम निवास स्थान	भौतिक अधीकार प्रारम्भ होंने का वर्ष	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टेयर	मालगुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्टर कानूनगो द्वारा स्वीकृत हुए						टिप्पणी
						सन्	फसली	सन्	फसली	सन्	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
६६६	चिल्ला जल विद्युत परियोजना	१३८६ फसल	बग ६ —			अस्थायी भूमि						
			२६८ / ६ मि०	०-६६४	१/-	जलमग्न भूमि						
			१६६ / २ मि०	१०-२८६								
			२	१०-९५१								

[illegible] के [illegible] नकल सही है।
[illegible] के [illegible] [illegible]
[illegible]
19-11-98
[illegible]
[illegible] ऋषिकेश

[illegible]
"TRUE COPY"

13

ANNEXURE-R-3

प्रेषक,

सुरेश कुमार,
अधिशासी अभियन्ता
बैराज निर्माण खं०, ऋषिकेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक- 1485 /बैनिख/एल-4, दिनांक 10-6-80

विषय:- गढ़वाल- ऋषिकेश चिल्ला जल विद्युत परियोजना के कार्यों से सम्बन्धित भूमि का स्थानान्तरण।

महोदय,

उक्त कार्यों के लिए निम्न वर्णित भूमि उनके सम्मुख दर्शाये गये आपके आदेशों से इस विभाग को स्थानान्तरित की चुकी है।

क्रम सं०	खसरा नं०	क्षेत्रफल एकड़	आदेश संख्या
1.	298	0.79	सी०/जे० ए० एल०सी०/12ए-(75-78)
2.	299	25.62	दिनांक 14-3-78
3.	298	0.85	701/12ए-125(75-78)
			दिनांक 3-2-78

परन्तु उपरोक्त भूमि की मौके पर निशानदेही नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त भूमि की निशानदेही शीघ्र कराने की कार्यवाही करें ताकि सरकारी हितों की रक्षा की जा सके।

10-6

(सुरेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक- 1485 (1)/बैनिख/एल-4, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम, बैराज निर्माण खं०, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। भूमि की मौके पर निशानदेही शीघ्र कराने का प्रयत्न करें।

10/6

(सुरेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

//TRUE COPY//

1M

ANNEXURE R-4

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग
संख्या: 321 / II-2009-03(46)/2003
देहरादून: दिनांक 25 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञाप

ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2349/I(2)/2008/04(8)/62/08, दिनांक 09.09.2001 द्वारा निर्गत आदेश के अन्तर्गत जलविद्युत परियोजनाओं की संरचना, निर्माण एवं संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तराखण्ड जलविद्युत निगम लि0 को हो जाने के फलस्वरूप जलविद्युत उत्पादनरत परियोजनाओं में से चीला जल विद्युत परियोजना (4 x 36 mw) के सिविल अनुरक्षण कार्य, जो वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं, को उत्तराखण्ड जलविद्युत निगम लि0 को सौंपने के आदेश निम्न प्रतिबन्धों के साथ एतद्द्वारा निर्गत किये जाते हैं:-

1. वीरभद्र बैराज, ऋषिकेश के हेड रेगुलेटर, एस्केप रेगुलेटर, पावर चैनल, विद्युत गृह एवं अन्य सहायक संरचनाओं का संचालन एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 द्वारा किया जायेगा।

2. चीला जल विद्युत परियोजना से विगत 10 वर्षों में सिविल एवं प्रतिदिन हुये विद्युत उत्पादन के सापेक्ष परियोजना के हस्तानान्तरण उपरान्त विद्युत उत्पादन में होने वाली वृद्धि की समीक्षा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में की जायेगी ताकि इस हस्तानान्तरण में लाभ/हानि का आंकलन हो सकें।

3. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, हस्तानान्तरण उपरान्त विद्युत उत्पादन में की जाने वाली वृद्धि की समयबद्धता निश्चित कर सूचना मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्रेषित करेगा।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त जो परिसम्पत्तियां सिंचाई विभाग के स्वामित्व में हैं, यथा आवासीय परिसर, निरीक्षण भवन, अनावासीय भवन एवं अन्य भूमि आदि यथावत सिंचाई विभाग के अधीन रहेंगे।

- उपरोक्त परियोजना के अनुरक्षण में सिंचाई विभाग के जो कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हैं, को चालू शिक्षा सत्रांत तक अन्यत्र स्थानान्तरित (प्रशासनिक आधार को छोड़कर) नहीं किया जायेगा।

आमरेन्द्र सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या: 321/II-2009-03(46)/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

//TRUE COPY//

आज्ञा से,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

15
ANN·R-5

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
UJVN LIMITED
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल), पशुलोक बैराज, ऋषिकेश-249203 दूरभाष-0135-2450378 फैक्स-0135-2456988
Office of Executive Engineer (Civil), Pashulok Barrage, Rishikesh- 249203 Phone-0135-2450378 Fax- 0135-2456988
CIN No.U40101UR2001SGC025866
ISO 9001:2008 Certified

Hotal Ganga Forest View,

Near Gali No.-04,

Ashtha Path Rishikesh.

विषय – अवैद्य निर्माण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के कम में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर गली न0 04 के पास अवैध रूप से बैराज के बन्द को क्षति पहुँचाते हुए निगम की जमीन पर होटल के रास्ते का निर्माण किया गया है एवं सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है साथ ही आपके द्वारा बन्धे पर क्यारी आदि का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गैरकानूनी है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि अतिशीघ्र अवैध निर्माण को हटवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में आपके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।

(मुकेश पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता (सिविल)

प्रतिलिपि – सहायक अभियन्ता (सिविल) पशुलोक बैराज को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अवैध निर्माण को तुरन्त हटवाना सुनिश्चित करें।

RW720917294IN IVR:8286720917294
भारतीय डाक
RL PASHULOK SO <249203>
Counter No:1,12/12/2019,13:52
To:HOTEL GANGA F,VBR ROAD
PIN:249201, Rishikesh SO
From:ADHISHASHI ,UJVN LTD
Wt:10gms
Amt:0.00FS:22.00
<Track on www.indiapost.gov.in>
India Post

NOTARY
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12(01)02
GOVT. OF UTTARAKHAND

Photo Copy Attested
Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage,
Rishikesh

Attested Photo Copy
04/01/21
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12(01)02

//TRUE COPY//

16

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल), पशुलोक बैराज, ऋषिकेश-249203 दूरभाष-0135-2450378 फैक्स-0135-2456988
Office of Executive Engineer (Civil), Pashulok Barrage, Rishikesh- 249203 Phone-0135-2450378 Fax- 0135-2456988
CIN No.U40101UR2001SGC025866
ISO 9001:2008 Certified

Hotel Ganga Forest View, — By Hand

Near Gali no.-04,

Ashtha Path, Rishikesh,

विषयः— अवैध निर्माण के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय पत्र सं0 767/UJVNL/01/MD Office/EE(C-Pashulok Barrage)/G-1, दिनांक 12.12.2019 जो कि पंजीकृत डाक के द्वारा आपको अवैध निर्माण को हटवाने सम्बन्धी भेजा गया था, आपके द्वारा दिनांक 14.12.2019 को पत्र लेने से मना/वापस कर दिया गया और आप द्वारा सरकारी पत्र को लेने से मना करने पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिशीघ्र आपके द्वारा कराये गये अवैध निर्माण कार्य को हटवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा निगम आपके द्वारा किए गये अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही करेगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वंय होगें।

18/12/2019
(मुकेश पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता (सिविल)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः—

1. महाप्रबन्धक (जान0—अनु),यूजेवीएन लिमिटेड, गंगा भवन, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (सि0अनु0—गंगावैली), यूजेवीएन लिमिटेड, मायापुर—हरिद्वार।
3. सहायक अभियन्ता (बैराज) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि स्वंय व्यक्तिगत रूप से Hotel Ganga Forest View के साथ वार्ता करें एवं उसके द्वारा कराये गये कार्य को हटवाना सुनिश्चित करें।

Received
18.12.2019

NOTARY
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
GOVT. OF UTTARAKHAND

Attested Photo Copy
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 2/04/02

04.10.21

// TRUE COPY //

Photo Copy Attested
Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage,
Rishikesh

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
UJVN LIMITED
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

17
ANN-R-5

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल), पशुलोक बैराज, ऋषिकेश–249203, दूरभाष–0135–2450378, फैक्स नं0–0135–2456988
Office of the Executive Engineer (Civil), Pashulok Barrage, Rishikesh-249203, Phone-0135-2450378, Fax-0135-2456988

Letter No: 356/UJVNL/01/MD Office/EE(C-PashulokBarrage)/G-1, Dated: 02/07/2020

Hotal Ganga Forest View,

Near Gali No.-04,

Ashtha Path Rishikesh.

विषयः– वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर अवैद्य निर्माण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 767/UJVNL/01/MD Office/EE(C-Pashulok Barrage)/G-1 Dated: 12/12/2019 एवं 785/UJVNL/01/MD Office/EE(C-Pashulok Barrage)/G-1 Dated: 18/12/2019 के क्रम में आपको अवगत करवाया गया था कि आपके द्वारा वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर गली न0 04 के पास अवैध रूप से बैराज के बन्धे को क्षति पहुँचाते हुए निगम की जमीन पर अवैद्य निर्माण कर सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है, आप अतिशीघ्र अवैध निर्माण को हटवाना हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आपके द्वारा उक्त आदेशों का पालन न करते हुए दिनांक 30.06.2020 को दुवारा अवैद्य निर्माण किया गया है। आपको पुनः सूचित किया जाता है कि अतिशीघ्र अवैध निर्माण को हटवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में शासन को सूचित करते हुए आपके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ा जायेगा एवं उस पर होने वाला व्यय आपसे वसूल किया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।

(मुकेश पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता (सिविल)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. महाप्रबन्धक (जान0 अनु0), यूजेवीएन लि0, गंगा भवन, यमुना कालोनी, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (जान0अनु0–गंगा वैली), यूजेवीएन लि0, मायापुर, हरिद्वार।
3. श्री अतुल कुमार, सहायक अभियन्ता (सिविल) को इस आशय से प्रेषित है, कि आस्था पथ पर नियमित रूप से निगरानी करवाने की व्यवस्था करें।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage,
Rishikesh

NOTARY
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12 (01)02
GOVT. OF UTTARAKHAND

Attested Photo Copy
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12 (01) 02

04.10.21

IITRUE COPY
13

18

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
UJVN LIMITED
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय सहायक अभियन्ता (सिविल), "वीरभद्र बैराज" पशुलोक, ऋषिकेश (देहरादून)–249203 9456590069 :-0135-2456988Office ofthe Assistant Engineer (Civil), "Virbhadra Barrage"Pasulok,Rishikesh (Dehradundun)-249203. website:www.uttarakhandjalvidyut.com

पत्रांकः– 09 / स0 अभि0(जा0) / विविध

दिनांक :– 22 / 03 / 2021

श्रीमती कल्याणी देवी,
निकट गली नं0 6,
आस्था पथ, ऋषिकेश।

विषयः– वीरभद्र बैराज के आस्था पथे के नाले पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर गली नं0 6 के पास होटल गंगा फारेस्ट व्यू के बगल में नाले के ऊपर आपके द्वारा अवैध रूप से चाहरदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो कि सरकारी सम्पत्ति पर अतिक्रमण करना है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि उक्त अवैध निर्माण को अति शीघ्र हटवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध प्रशासनिक कानूनी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ा जायेगा एवं उस पर होने वाले व्यय को आपसे वसूल किया जायेगा जिसके पूर्ण उत्तरदायी आप स्वयं होगें।

(देवेन्द्र कुमार)
O/C सहायक अभियन्ता (जानपद)

प्रतिलिपि : 1. अधिशासी अभियन्ता (सिविल),पशुलोक बैराज, ऋषिकेश को सादर सूचानार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

2. उप निरिक्षक, चौकी इंचार्ज, आई.डी.पी.एल. वीरभद्र, ऋषिकेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(देवेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता (जानपद)

Photo Copy Attested
Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage,
Rishikesh

Attested Photo Copy
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)

NOTARY
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
GOVT. OF UTTARAKHAND

04.10.21

//TRUE COPY//

19

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय सहायक अभियन्ता (सिविल), "वीरभद्र बैराज" पशुलोक, ऋषिकेश (देहरादून)–249203 9456590069 :-0135-2456988Office ofthe Assistant Engineer (Civil), "Virbhadra Barrage"Pasulok,Rishikesh (Dehradundun)-249203. website:www.uttarakhandjalvidyut.com

पत्रांक:– 11 / स0 अभि0(जा0) / विविध दिनाँक 03 / 04 / 2021

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,

ऋषिकेश।

विषयः– वीरभद्र बैराज के आस्था पथे के नाले पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर गली नं0 6 के पास होटल गंगा फारेस्ट व्यू के समीप श्रीमती कल्याणी देवी, निकट गली नं0 6, आस्था पथ, ऋषिकेश द्वारा आस्था पथ के नाले के ऊपर अवैध रूप से चाहरदीवारी का निर्माण कार्य करवाया गया है (छायाचित्र संलग्न), जो कि सरकारी सम्पत्ति पर अतिक्रमण करना है। अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमती कल्याणी देवी को कार्यालय पत्रांक 09 / स0 अभि0(जा0) / विविध दिनाँक 22 / 03 / 2021 के माध्यम से चाहरदीवारी हटाये जाने हेतु नोटिस दिया गया था, किन्तु आतिथि तक उनके द्वारा उपरोक्त नवनिर्मित चाहरदीवारी को ध्वस्त / हटाया नहीं गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त अवैध निर्माण को अतिशीघ्र हटवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद!

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

03/04/2021

(देवेन्द्र कुमार)

सहायक अभियन्ता (जानपद)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. अधिशासी अभियन्ता (सिविल), यूजेवीएन लि0, पशुलोक बैराज, ऋषिकेश।
2. निरीक्षक, उत्तराखण्ड पुलिस, कोतवाली, ऋषिकेश।

NOTARY ANIL KUMAR Advocate/Notary Rishikesh (Dehradun) Reg 12 (01)02 GOVT. OF UTTARAKHAND

04.10.21

03/04/2021

(देवेन्द्र कुमार)

सहायक अभियन्ता (जानपद)

Photo Copy Attested
Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage,
Rishikesh

Attested Photo Copy
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12 (01) 02

//TRUE COPY//

20

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्डसरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय सहायकअभियन्ता (सिविल), "वीरभद्र बैराज"पशुलोक, ऋषिकेश (देहरादून)–249203 9456590069 :-0135-2456988, Pin-249203

Office ofthe Assistant Engineer (Civil), "Virbhadra Barrage"Pasulok,Rishikesh (Dehradundun).website:www.uttarakhandjalvidyut.cor

पत्रांकः– 19 / स0 अभि0(जा0) / वीरभद्र बैराज दिनाँक 29 / 06 / 2021

पंजीकृत डा‹

द्वेषभाव रहि

श्रीमती कल्याणीदेवी,
निकट गली नं0 4,
आस्था पथ, ऋषिकेश।

विषयः– वीरभद्र बैराज के दाहिने अफलक्स बन्धे में गली नं0 4, होटल गंगा फारेस्ट व्यू के बगल में आस्थ पथ / अफलक्स बन्धे के नाले के ऊपर अवैध निर्माण / अतिक्रमण एवं नाले को मलबे से भरने व सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर गर्ल नं0 4 के पास होटल गंगा फारेस्ट व्यू के बगल में नाले के ऊपर पुनः अवैध रूप से चाहरदीवारी का निर्मा कार्य कराया जा रहा है एवं उक्त नाले को भी मलबे से भर दिया गया है। पूर्व में भी आपके द्वारा उक्त स्थल पर चाहरदीवारी का निर्माण किया गया था, जिसको प्रशासन की मदद से दिनांक 08 अप्रैल 2021 क ध्वस्त करा दिया गया था। वर्तमान में अफलक्स बंधे के नाले को मलबे से भर दिया गया है। आपके द्वार उक्त स्थल पर पुनः सरकारी सम्पत्ति पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में मानसून सीजन वे दृष्टिगत ड्रेनेज सिस्टम के मलबे से चोक होने के कारण, बन्धे की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस पत्र प्रप्ति के तीन दिवस के अन्दर आप अति शीघ्र अवैध निर्माण को ध्वस्त कराना एवं अफलक्स बंधे के नाले में जो मलबा से भरा गया है, को हटवाना सुनिश्चित करें अन्यथा पुनः आपके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदार आपकी होगी।

NOTARY ANIL KUMAR Advocate/Notary Rishikesh (Dehradun) Reg 12 (01)02 GOVT. OF UTTARAKHAND

Attested Photo Copy

A. KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12 (01) 02

Please file
29.06.21

04.10.21

Devendra 29/06/2021
(देवेन्द्र कुमार)
सहायकअभियन्ता (जानपद)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage,
Rishikesh

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता (सिविल), पशुलोक बैराज ऋषिकेश।

//TRUE COPY//

UJVNL

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्डसरकार का उपकम)

UJVN LIMITED
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय सहायकअभियन्ता (सिविल), "वीरभद्र बैराज"पशुलोक, ऋषिकेश (देहरादून)–249203 9456590069 :&:-0135-2456988, Pin-249203
Office ofthe Assistant Engineer (Civil), "Virbhadra Barrage"Pasulok,Rishikesh (Dehradundun).website:www.uttarakhandjalvidyut.con

21

पत्रांकः– 20 / स0 अभि0(जा0) / वीरभद्र बैराज

दिनाँक 29 / 06 / 2021

पंजीकृत डाव
द्वेषभाव रहित

होटल गंगा फोरेस्ट व्यू,
निकट गली नं0 4,
आस्था पथ, ऋषिकेश।

विषयः– वीरभद्र बैराज के दाहिने अफलक्स बन्धे पर अतिकमण / अवैध निर्माण एवं नाले को मलबे से भरने के सम्बन्ध में के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपको सूचित कराना है कि आपके द्वारा वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर गली नं0 4 के पास वीरभद्र बैराज के अफलक्स बंधे एवं बंधे से सम्बन्धित नाले के ऊपर अवैध निर्माण / अतिकमण कराया गया है। उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त / हटवाये जाने हेतु पूर्व में निगम के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यालय पत्रांक 356/UJVNL/01/MD Office/EE(Civil) Pashulok Barrage/G-1 dt. 02-07-2020 के माध्यम से भी आपको सूचित किया गया था, किन्तु वर्तमान तक आपके द्वारा उक्त अवैध निर्माण / अतिकमण को नहीं हटवाया गया है। साथ ही आपके द्वारा बंधे सम्बन्धित सीपेज ड्रेन को भी मलबे से भर दिया गया है, जिससे अफलक्स बंधे की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। वर्तमान में मानसून सीजन के दृष्टिगत ड्रेनेज सिस्टम के मलबे से चोक होने के कारण, बन्धे की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस पत्र प्रप्ति के तीन दिवस के अन्दर आप अति शीघ्र अवैध निर्माण को ध्वस्त कराना एवं अफलक्स बंधे के नाले में जो मलबा से भरा गया है, को हटवाना सुनिश्चित करें अन्यथा पुनः आपके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

Please file
29.06.21

Photo Copy Attested
Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage,
Rishikesh

NOTARY
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12 (01)02
GOVT. OF UTTARAKHAND

29/06/2021
(देवेन्द्र कुमार)
सहायकअभियन्ता (जानपद)

04.10.21

Attested Photo Copy

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता (सिविल), पशुलोक बैराज ऋषिकेश।

ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12 (01) 02

//TRUE COPY//

22

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्डसरकार का उपकम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise).

कार्यालय सहायकअभियन्ता (सिविल), "वीरभद्र बैराज"पशुलोक, ऋषिकेश (देहरादून)–249203 9456590069 :&:-0135-2456988, Pin-249203
Office ofthe Assistant Engineer (Civil), "Virbhadra Barrage"Pasulok,Rishikesh (Dehradundun).website:www.uttarakhandjalvidyut.com

पत्रॉकः 22/स0 अभि0(जा0)/वीरभद्र बैराज दिनाँक 19/07/2021

सेवा में,
उपजिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage, Rishikesh

विषयः— वीरभद्र बैराज के आस्था पथे के नाले पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर गली नं0 4 के पास होटल गंगा फारेस्ट व्यू के समीप श्रीमती कल्याणी देवी, निकट गली नं0 4, आस्था पथ, ऋषिकेश द्वारा आस्था पथ के नाले के ऊपर अवैध रूप से चाहरदीवारी का पुनः निर्माण कार्य करा दिया गया है (छायाचित्र संलग्न), जो कि सरकारी सम्पत्ति पर अतिक्रमण करना है।

महोदय आपके संज्ञान में लाना है कि इससे पूर्व में दिनाँक 08.04.2021 को आपके कार्यालय पत्र सँख्या 1036/एस0टी0–2020 दिनाँक 07 अप्रैल, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में उक्त स्थल पर अवैध अतिकमण के अन्तर्गत चाहरदीवारी को ध्वस्त करा दिया गया थॉ, किन्तु मना किये जाने के बावजूद भी श्रीमती कल्याणी देवी जी द्वारा वीरभद्र बैराज के आस्था पथे के नाले पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण कर पुनः चाहरदीवारी को निर्माण करा दिया गया है तथा सीपेज ड्रेनेज को भी मलबे आदि से भर दिया गया है, जिससे मानसून सीजन के दृष्टिगत ड्रेनेज सिस्टम के मलबे से चोक होने के कारण, बन्धे की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

उक्त अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमती कल्याणी देवी जी को कार्यालय पत्रॉक 19/स0अभि0(जा0)/वीरभद्र बैराज दिनाँक 29/06/2021 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से चाहरदीवारी एवं सीपेज ड्रेनेज सिस्टम से मलबा हटाये जाने हेतु नोटिस दिया गया था, किन्तु आतिथि तक उनके द्वारा उपरोक्त नवनिर्मित चाहरदीवारी को ध्वस्त/हटाया नहीं गया है। जबकि ड्रेनेज सिस्टम के सुचारूरूप से परिचालन हेतु ड्रेन के मलबे को विभागीय कार्यवाही करते हुये खाली करवा दिया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त अवैध निर्माण को अतिशीघ्र हटवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद!

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय

सहायक अभियन्ता (जानपद) / SHO - [illegible] / तहसीलदार - [illegible] / SNA - कृपया नि॰ कार्यवाही हेतु समन्वय स्थापित कर [illegible] अतिक्रमण पाए जाने पर स्थल को अतिक्रमणमुक्त करें।

04-10-21

(देवेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता (जानपद)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता (सिविल), यूजेवीएन लि0, पशुलोक बैराज, ऋषिकेश।
2. निरीक्षक, उत्तराखण्ड पुलिस, कोतवाली, ऋषिकेश।

Attested Photo Copy
KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)

सहायक अभियन्ता - (जानपद)
अतिक्रमण पूर्व में 08/04/21 को भी [illegible] कार्यवाही हेतु [illegible]

(देवेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता (जानपद)

11TRUR [illegible]

23

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्डसरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय सहायकअभियन्ता (सिविल), "वीरभद्र बैराज"पशुलोक, ऋषिकेश (देहरादून)–249203 9456590069 :-0135-2456988, Pin-249203
Office ofthe Assistant Engineer (Civil), "Virbhadra Barrage"Pasulok,Rishikesh (Dehradundun).website:www.uttarakhandjalvidyut.com

पत्रांकः 23 / स0 अभि0(जा0) / वीरभद्र बैराज — दिनाँक 23/07/2021

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

विषयः– वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर भविष्य में अतिक्रमण न हो, के सम्बन्ध में।
संदर्भः– दिनाँक 19.07.2021 के डायरी सं0 42।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के . पत्रांक 22/स0अभि0(जा0)/वीरभद्र बैराज दिनाँक 19/07/2021 उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिनाँक 19.07.2021 के डायरी सं0 42 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय, उक्त के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि पूर्व में अफलक्स बंधे पर बड़े वाहनों की आवाजाही केवल बैराज पुल के गेट से ही होती थी, जिससे अफलक्स बंधे पर किसी भी प्रकार के निर्माण एवं निर्माण सामग्री ले जाने पर नियंत्रण रहता था, किन्तु वर्तमान में आवास विकास के गली न0 4 पर स्थित गेट, जो कि अफलक्स बंध एवं आस्था पथ को जोड़ता है को नगर निगम ऋषिकेश द्वारा स्थापित किया गया था, जिससे निर्माण सामग्री अवैध रूप से अफलक्स बंध पर पहुँच रही है। पूर्व में उक्त मार्ग स्थानीय नागरिकों की मात्र पैदल आवाजाही हेतु खुला था, किन्तु वर्तमान में उक्त मार्ग का प्रयोग बड़े वाहनों द्वारा अवैध रूप से एवं आसानी से अफलक्स बंध पर पहुँचने (Access) हेतु किया जा रहा है जिससे अवैध निर्माण सामग्री एवं वहनों के आवागमन के सम्बन्ध में नियन्त्रण बैराज प्रबन्धन के पास नहीं रह गया है, तथापि वर्तमान में घटनाओं को देखते हुए उक्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है:–

1. बैराज की परिसम्पत्तियों पर भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, इस हेतु आस्था पथ के गली नं0 4 से वीरभद्र बैराज तक अफलक्स बंध/सीपेज ड्रेनेज सिस्टम पर बांयी ओर चेन लिंक फैन्सिंग का निर्माण कार्य का प्रस्ताव बनाकर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है।
2. निगम के सुरक्षा कार्मिकों का प्रतिदिन प्रातः काल, सायं काल एवं रात्रि काल को नियमित रूप से बैराज के बंधे से गली न0 4 तक का अनुश्रवण बढ़ा दिया गया है।
3. उक्त गली न0 4 के गेट के संचालन के सम्बन्ध में नगर निगम, ऋषिकेश से पत्राचार किया जा रहा है।(छायाप्रति संलग्न)
4. वर्तमान में बैराज की सुरक्षा को देखते हुए अफलक्स बंध के दांयी ओर फेन्सिंग का कार्य शीघ्र ही किया जाएगा।

अतः महोदय को सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों से भविष्य में अतिक्रमण को रोका जा सकता है।

संलग्नकः– यथोपरि।

DA-II / Barrage file
23.07.2021

Photo Copy Attested
Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage,
Rishikesh

NOTARY
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12 (01)02
GOVT. OF UTTARAKHAND

भवदीय
23/07/21
(देवेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता (जानपद)

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता (सिविल), यूजेवीएन लि0, पशुलोक बैराज, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

Attested Photo Copy
04.10.21
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg. 2 (01) 02

TRUE COPY

2-41

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्डसरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय सहायकअभियन्ता (सिविल), "वीरभद्र बैराज"पशुलोक, ऋषिकेश (देहरादून)–249203 9456590069 :&:-0135-2456988, Pin-249203
Office ofthe Assistant Engineer (Civil), "Virbhadra Barrage"Pasulok, Rishikesh (Dehradundun).website:www.uttarakhandjalvidyut.cor

पत्रॉंक: 24 / स0 अभि0(जा0) / वीरभद्र बैराज   दिनॉंक 24 / 07 / 2021

सेवा में,

पुलिस निरीक्षक,
कोतवाली ऋषिकेश।

विषयः– **वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 22 / स0अभि0(जा0) / वीरभद्र बैराज दिनॉंक 19 / 07 / 2021 जो वि उपजिलाधिकारी महोदय को प्रेषित था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा के द्वारा दिनॉंक 19.07.202 के डायरी सं0 42 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)।

दिनॉंक 23.07.2021 को उपजिलाधिकारी महोदय के प्रत्युत्तर के अनुपालन में तहसीलदार महोदया से बैठक क श्रीमती कल्याणी देवी जी के द्वारा वीरभद्र बैराज के आस्था पथ पर गली नं0 4 के पास होटल गंगा फारेस्ट व्यू के बगल न नाले के ऊपर अतिक्रमण किया गया है, जिसको दिनॉंक 28.07.2021 को प्रातः 11:00 बजे हटाया / ध्वस्त किया जान सुनिश्चित किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि दिनॉंक 28.07.2021 को प्रातः 11:00 बजे दो महिला आरक्षी एवं दो पुरूष आरक्ष अतिक्रमण स्थल पर भेजने / तैनात करनें का कष्ट करें, ताकि अतिक्रमण को शांति एवं सुगमता से हटाया जा सके।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता (जानपद)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. तहसीलदार, ऋषिकेश।
2. अधिशासी अभियन्ता (सिविल), यूजेवीएन लि0, पशुलोक बैराज, ऋषिकेश।
3. उपनिरीक्षक, पुलिस चौकी आई0डी0पी0एल, वीरभद्र ऋषिकेश।

OA-II / Barrage file
24/07/2021

NOTARY ANIL KUMAR Advocate/Notary Rishikesh (Dehradun) Reg 12/01/02 GOVT. OF UTTARAKHAND

Devendra 24/07/21
(देवेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता (जानपद)

04.10.21

Photo Copy Attested
Assistant Engineer (Civil)
UJVN Ltd., Pashulok Barrage,
Rishikesh

Attested Photo Copy
ANIL KUMAR
Advocate/Notary
Rishikesh (Dehradun)
Reg 12/01/02

//TRUE COPY//

25 ANN.R-6

डायरी नं.... 568

Handing Over of Chilla Hydro Electric Power Project From Irrigation Department Uttarakhand to Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd

Handed Over By- Executive Engineer Power House Construction Division, Pahulok Barrage I. D

Taken Over By- Executive Engineer (Civil) Pahulok Barrage UJVNL.

Ref: GoUK Order: 321/II-2009-03(45)/2003 Principal Secretary Irrigation

Diary No: 102/MD/UJVNL/Chilla dated 15.2.2010

Transfer of Operation & Maintenance of Virbhadra Barrage Pashulok along with Power Channel, Power House and Tail Race Channel

In compliance to above refered orders following Structures of Chilla HEP are handed over for Operation & Maintenance:

1. Entire Barrage complex consisting of 11 nos of Gates on normal portion/ spillway bays and 4 nos of gates on undre sluice portion of Barrage. The canal head regulator consists of 5 nos. of Gates.
2. Power Channel from 0000m to 14222m including superpassage at Bin river.
3. Silt Ejector Gate and channel.
4. Power House Building including appurtenant structures
5. Tail race Channel

Detail structure & component wise drawings & status with defects, if any, shall be furnished to UJVNL separately. Now Operation & Maintenance of Barrage and Power Channel shall be handled by Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd from 00.00 hrs of 1st April 2010

31-3-2010
(C.M. Bhatt)
Assistant Engineer-I

31-3-2010
(Sohan Lal Bhadri)
Assistant Engineer-II

31-3-10
(H.C. Thapliyal)
Assistant Engineer-III

31.03.2010
(L.R. Arya)
Executive Engineer
Power House construction Dibvision
Pashulok,

SKSingh 31/03/2010
(Satyendra Kumar Singh)
Assistant Engineer Barrage

31/03/2010
(Girish Joshi)
Assistant Engineer Power Channel

31/3/2010
(I.M.S.Karasi)
Executive Engineer(Civil)
Uttarakhand Jal vidyut Nigam Ltd
Pashulok Barrage, Rishikesh

'चार्ज मीमो'

अधिशासी अभियन्ता पावर हाउस निर्माण खण्ड - ऋषिकेश के पत्रांक : 472/पा० हा० नि० ख०/पी-8, दिनांक 29-3-2010 एवं सहायक अभियन्ता-प्रथम, पावर हाउस निर्माण खण्ड - ऋषिकेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 146/स०अ०-प्रथम/बी-1/ दिनांक 29-3-2010, के अनुपालन में, मैं सुरेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) पावर हाउस निर्माण खण्ड-ऋषिकेश उपखण्ड-प्रथम, आज दिनांक 31-3-2010 को समय सांय 5.00 बजे, वीरभद्र बैराज ऋषिकेश से सम्बन्धित समस्त कार्यभार श्री अरविन्द त्रिपाठी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पशुलोक बैराज ऋषिकेश को सौंप रहा हूँ।

1. वीरभद्र बैराज :-

वीरभद्र बैराज की लम्बाई 312.00मी० है, इसमें 18.00 मीटर लम्बाई के 4 नं० अण्डरस्लूस बे तथा 11 नं० स्पिलवे बे हैं, अण्डरस्लूस बे का क्रेस्ट लेवल 325.50मी० तथा ओवर बे/स्पिल वे का क्रेस्ट लेवल 326.50 मी० है, जिन पर गेट लगे हैं, अण्डरस्लूस बे के नीचे 6नं० सिल्ट एक्सक्लूडर टनल निकलती हैं, जिनसे वर्षा काल में सिल्ट की निकासी की जाती है। वर्तमान में सभी सिल्ट एक्सक्लूडर टनल पूर्ण क्षमता से कार्य कर रही हैं।

बैराज बे के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम फर्श पर ग्रेनाइट पत्थर लगे हुए हैं, जो वर्षा काल में पानी के साथ बह कर आने वाले बोल्डर, बजरी एवं सिल्ट आदि के आघात एवं घर्षण से क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। ओवर बे के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम फर्श की मरम्मत का कार्य लीन अवधि में स्टॉप लॉग गेट डालकर किया जा सकता है, किन्तु अण्डरस्लूस के अपस्ट्रीम फर्श की मरम्मत का कार्य क्लोजर अवधि में ही कराया जा सकता है।

2. हैड रेगूलेटर :-

बैराज से शक्तिनहर में पानी के बहाव को नियन्त्रित करने के लिए हैड रेगूलेटर बना हुआ है, जिसकी लम्बाई 63.00मी० है, इसमें 11.00 मी० लम्बाई के 5 गेट लगे हुए हैं, नदी के पानी के साथ बहकर आने वाले कूड़ा करकट आदि को शक्ति नहर में प्रवाहित होने से -

[signature] 31/3/10 क्रमशः-2- [signature] 31.3.10

रोकने के लिए हैडरेग्यूलेटर संरचना के अपस्ट्रीम में ट्रैश रैक लगी हुई है। ट्रैश रैक पर रुकने वाले कूड़ा करकट की निरन्तर सफाई की जाती है, ताकि शक्ति नहर में पानी का प्रवाह निरन्तर बना रहे, दिनांक 31-3-2010 सांय 5-00 बजे तक ट्रैश रैक की सफाई का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। दिनांक: 01.4.2010 से ट्रैश सफाई का कार्य उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० द्वारा सम्पादित कराये जाने हेतु आपको सौंप रहा हूँ।

3. बैराज कन्ट्रोल रूम/संन्तरी पोस्ट:-

बैराज पर एक कन्ट्रोल रूम बना हुआ है, जिसके द्वितीय तल पर बैठक कक्ष तथा प्रथम तल पर कन्ट्रोल पैनल लगे हुए हैं, जिनसे गेट संचालित किये जा सकते हैं किन्तु वर्तमान में कार्य स्थिति में नहीं हैं। भूमि तल पर एक कक्ष में कन्ट्रोल रूम तथा एक कक्ष वर्षाकाल में लैब के कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाता है।

बैराज की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्डों के लिए दोनों किनारों पर संतरी पोस्ट निर्मित है, बैराज के दांये किनारे पर ठेकेदार के माध्यम से निम्नलिखित पाँच सुरक्षा गार्ड लगाये गये हैं, जिनके वेतन बीजकों का भुगतान दिनांक 31-3-2010 तक पावर हाउस निर्माण खण्ड- ऋषिकेश, सिंचाई विभाग के माध्यम से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम को प्रेषित इन्वाइस पर धनराशि प्राप्त होने के उपरांत किया जायेगा, दिनांक: 01.4.2010 से आगे के समस्त देयकों का भुगतान उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० द्वारा किया जायेगा।

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1	श्री महेश कुमार	गनमैन
2	श्री भरत सिंह	सुरक्षा गार्ड
3	श्री गोविन्द राम	सुरक्षा गार्ड
4	श्री कुशाल सिंह	सुरक्षा गार्ड
5	श्री विक्रम सिंह	सुरक्षा गार्ड

4. गाइड बंध गार्डन:-

बैराज के दोनों तटों पर गाइड बंध गार्डन की मरम्मत एवं रखरखाव आदि के कार्य किये जाते हैं।

[signature] 31/3/10 क्रमशः -3- [signature] 31.3.10

5. तट सुरक्षा कार्य :-

बैराज के डाउनस्ट्रीम में दोनों किनारों पर तट सुरक्षा कार्य निर्मित हैं, जो मानसून अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है।

6. गाईड एवं अफलक्स बन्ध :-

वीरभद्र बैराज के दाँये तट पर अपस्ट्रीम में 1.13 कि०मी० लम्बाई में गाईड एवं अफलक्स बन्ध निर्मित है। वर्षाकाल में गाईड एवं अफलक्स बन्ध की सतत् निगरानी की आवश्यकता होती है।

7. सीपेज ड्रेन :-

अफलक्स बन्ध के साथ-साथ कालोनी साइड में सीपेज ड्रेन निर्मित है, बैराज जलाशय का जलस्तर बढ़ने पर अफलक्स बन्ध से पानी का रिसाव बढ़ जाता है, जिसकी निकासी सीपेज ड्रेन के द्वारा आई० डी० पी० एल० सप्लाई चैनल में होती है। वीरभद्र बैराज जलाशय में जलस्तर 335.50 मी० से अधिक होने पर सीपेज ड्रेन साईड की भूमि पर विभिन्न स्थानों पर Boiling होनी प्रारम्भ हो जाती है।

8. आई० डी० पी० एल० सप्लाई चैनल :-

बैराज गाइड बन्ध के कि०मी० 0.300 से आई० डी० पी० एल० दवा फैक्ट्री को पानी की आपूर्ति के लिए आई० डी० पी० एल० सप्लाई चैनल निकलती है, तथा Feed back channel से पानी वापस बैराज जलाशय में आता है जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्य नहीं कर रही है। आई० डी० पी० एल० द्वारा दिये गये धन से ही उक्त की मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

बैराज से सम्बन्धित स्टेशनरी आदि की सूची अलग से संलग्न की जा रही है, जो भौतिक रूप से बैराज पर आपको दिखा कर सौंप दिया गया है। अतः दिनांक 01-4-2010 से, बैराज संरचना से सम्बन्धित समस्त सिविल कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु यह चार्ज आपको सौंप रहा हूँ।

कार्यभार हस्तान्तरित किया

31/3/10

(एस० एस० भण्डारी)
कनिष्ठ अभियन्ता
पावर हाउस निर्माण खण्ड ऋषिकेश
उपखण्ड-प्रथम

कार्यभार ग्रहण किया

31.3.10

(अरविन्द त्रिपाठी)
कनिष्ठ अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि०
पशुलोक बैराज ऋषिकेश

29

अधिशासी अभियन्ता पावर हाउस निर्माण खण्ड - ऋषिकेश के पत्रांक : 472 / पा० हा० नि० खं० / पी - 8, दिनांक 29-3-2010 एवं सहायक अभियन्ता प्रथम पावर हाउस निर्माण खण्ड - ऋषिकेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 946 / स० अ० - प्रथम / पी - 1 / दिनांक : 29-3-2010 के अनुपालन में दिनांक 31-3-2010 को समय 24-00 बजे वीरभद्र बैराज संचालन का कार्यभार उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० पशुलोक बैराज ऋषिकेश को हस्तान्तरित किया गया है।

कार्यभार हस्तान्तरित किया (पावर हाउस निर्माण खण्ड - ऋषिकेश)	कार्यभार ग्रहण किया (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० पशुलोक बैराज ऋषिकेश)
(1) (एस० एस० भण्डारी) कनिष्ठ अभियन्ता (हस्ताक्षर, 31/3/10)	(1) (अरविन्द त्रिपाठी) कनिष्ठ अभियन्ता (हस्ताक्षर, 31.3.10)
(2) छोटे लाल (हस्ताक्षर)	(2) (राजेश शर्मा) कनिष्ठ अभियन्ता (वि०) (हस्ताक्षर, 31/3/10)
(3) राजकुमार गेजरीडर (हस्ताक्षर: Rajkumar)	(3) (रामनारायण मिश्रा) लाइन मैन (हस्ताक्षर)
(4) अमित शुक्ला गेजरीडर (हस्ताक्षर: Amit Shukla)	(4) (ओमप्रकाश पाल) आपरेटर (हस्ताक्षर: ओमप्रकाश पाल)
(5) (कुं० वरसिंह भण्डारी) (हस्ताक्षर)	
(6) ललन प्रसाद सिंह (चौ...) (हस्ताक्षर)	

//TRUE COPY//